



83

न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक
कोर्ट रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

R 5420/4/16



- 1- मनविश्राम साकेत तनय दसई साकेत उम्र 46 वर्ष ।
- 2- चुनकामन साकेत तनय सीताराम साकेत उम्र 56 वर्ष ।
सभी निवासी ग्राम सतरी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना
म0प्र0निगराकारगण

बनाम

लक्षुआ उर्फ लक्ष्मण साकेत तनय सीताराम साकेत उम्र 69 साल
निवासी ग्राम सतरी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 ।
.....गैरनिगराकार

अधिवक्ता श्री नगेन्द्र सिंह
बघेल द्वारा प्रस्तुत।
23-9-16

फाल्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल 40 प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध पारित आदेश
न्यायालय श्रीमान अनु० अधि० महोदय
रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0
के रा0प्र0क027 अपील14-15 आदेश
दिनांक 26-8-2016 एवं अधीनस्थ
न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय
रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0
के रा0प्र0क0 43अ70/12-13 पारित
आदेश दिनांक 31-8-2015
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0
भू-रा0 संहिता 1959 ई० ।

मान्यवर,

निगराकार गणों द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर विनय है कि:-

// निगरानी का सारांश //


निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक/गैर
निगराकार ने विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम गणेशा स्थित आ०न०
38/1 रकवा 2.03, ए० के सम्बन्ध में यह उल्लेख करते हुये कि उक्त
आराजी निज भूमिस्वामित्व की है निगराकार गणों द्वारा हमारे भूमि पर
50-50 डिसमिल भाग पर बेजा कब्जा कर लिया है इसलिये

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण कमांक R 5420-II/16

जिला-भतना

पक्षकार का नाम मनविश्राम- लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मण लोबेन

(1)	(2)	(3)
27.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	